



REFERENCE

राष्ट्रीय युवा और खेल नीतियां,  
केन्द्रीय योजनाएं और  
1985-88 की  
महत्वपूर्ण उपलब्धियां

NATIONAL POLICIES  
ON YOUTH & SPORTS  
CENTRAL SCHEMES  
AND HIGHLIGHTS OF  
1985-1988.

दिसम्बर 1988 / DECEMBER 1988



भारतीय राष्ट्रीय युवा प्रतीक में आकृति हमारे युवाओं में उत्कृष्टता, सुदृढ़ चरित्र, निश्चय, आगे बढ़ने की भावना-की आवश्यकता और सहयोग की भावना से एक साथ कार्य करने की इच्छा प्रदर्शित करती है। फाखता केवल शान्ति का प्रतीक है जिसके माध्यम से फाखता की चोंच में टहनो विकास की संभावना प्रदर्शित करती है। प्रतीक के घेरे में डिजाइन जीवन की सर्वव्यापकता और पूर्णता प्रदर्शित करती है। इसकी समतल रेखाएं युवाओं द्वारा आगे बढ़ने की भावना प्रदर्शित करती है।

In commemoration of the Year of the Youth, 1985, the Government of India decided to adopt the Youth Emblem above as the symbol for the youth of the country. The figures in the Emblem symbolise the urge in our youth for excellence, strength of character, determination, a will to surpass and yet a desire to work in unison and with a spirit of co-operation. The dove depicts peace only through which development depicted by the twig held in the beak of the dove, is possible. The circular design of the Emblem represents the universality and wholeness of life. The horizontal lines give a sense of motion to the youthful figures.

| विषय सूचि                      | पृष्ठ: |
|--------------------------------|--------|
| 1. राष्ट्रीय युवा नीति         | 1      |
| 2. राष्ट्रीय खेल नीति          | 6      |
| 3. युवा योजनाएं                | 10     |
| 4. खेल योजनाएं                 | 14     |
| 5. गत चार वर्षों की उपलब्धियां | 20     |

| CONTENTS                  | Page No: |
|---------------------------|----------|
| 1. NATIONAL YOUTH POLICY  | 25       |
| 2. NATIONAL SPORTS POLICY | 30       |
| 3. YOUTH SCHEMES          | 34       |
| 4. SPORTS SCHEMES         | 38       |
| 5. HIGHLIGHTS             | 45       |

Sub. National Systems Unit,  
National Institute of Educational  
Planning and Administration  
17-B, Sri A. Chanda Marg, New Delhi-110016  
DOC. No-5864  
Date... 26-2-91

NIEPA DC



D05864

# युवा कार्यक्रम और खेल विभाग राष्ट्रीय युवा नीति

## भूमिका

सभी युगों में युवा प्रगति और सामाजिक परिवर्तन में अग्रणी रहा है। आजादी के लिए लालायित, तीव्रता से प्रगति के लिए उत्सुक और नवीकरण के लिए उमंग तथा युवा आदर्शवाद और सृजनात्मक जोश में हमारी मातृभूमि की आजादी के संग्राम में आगे था। यदि इस शताब्दी के पूर्वावधि में हजारों युवा राष्ट्रपिता के आवाहन से प्रेरित था तो आज का युवा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सहित प्रौद्योगिकीय प्रगति की चुनौती का सामना कर रहा है।

2. भारत का युवा जो हमारी जनसंख्या का एक तिहाई है, एक विशाल और महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। उनका, राष्ट्रीय विकास और राष्ट्र के भाग्य को बदलने में, जो वास्तव में उनका अपना भाग्य है, सक्रिय रूप से भाग लेने में अधिकार और दायित्व है। ऐसे देश में उनकी समस्या कई हैं, विभिन्न प्रकार की हैं। और उनकी आकांक्षाएं ऊंची हैं जिसका भूतकाल महान था और भविष्य के लिए वचनबद्धता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि उनके लिए उनके व्यक्तित्व का विकास करने और उनकी कार्यात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक अवसर पैदा किए जाएं ताकि उन्हें आर्थिक तौर पर उत्पादी तथा सामाजिक तौर पर लाभप्रद बनाया जा सके।

3. ऐसे सुअवसर बड़े स्तर पर पैदा करने पड़ेंगे ताकि मानव प्रयत्न के बड़े क्षेत्र को शामिल किया जा सके और समाज के सभी युवाओं को और विशेषकर लाभ वंचित युवाओं को उपलब्ध कराने पड़ेंगे। सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम इस प्रकार के होने चाहिए, ताकि युवा उत्पादक, आत्मविश्वासी और राष्ट्रीय विकास के लिए वचनबद्ध शक्ति बन सके। इन कार्यक्रमों के युवाओं के चहुँमुखी विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं उत्पन्न करनी चाहिए और सभी क्षेत्रों में उनकी उत्कृष्टता के लिए उनके प्रयासों में सहायता मिलनी चाहिए।

4. इसमें एकीकरण और अंतर अनुशासन की आवश्यकता है और इस कार्य में दोनों सरकारी विभागों और संगठनों और सरकार से बाहर के क्षेत्रों जैसे परिवार, शिक्षक, नेता, स्वैच्छिक एजेंसियों और युवा संगठनों को शामिल करना है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा इस प्रक्रिया के लिए पर्याप्त सहायक मैकेनिज्म प्रदान करना है।

5. अतः युवाओं को पर्याप्त रूप में अपना दायित्व निभाने के लिए उन्हें सुसज्जित करते हुए राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि देश के जीवन और प्रगति में से युवाओं को अपना हिस्सा मिलने में सहायता की जाए। यह आसान कार्य नहीं है, परन्तु यह आवश्यक कार्य है, जिसमें न केवल सरकार बल्कि व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों सहित सम्पूर्ण राष्ट्र को सृजनात्मक उद्यम की भावना में एक साथ लाना है, जैसा कि राष्ट्रीय युवा नीति में परिकल्पित है।

## लक्ष्य

6. नीति निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होगी:

6.1 युवाओं में हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों और मूल्यों के लिए जागरूकता और सम्मान पैदा करना है तथा उनमें राष्ट्रीय एकीकरण, अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के प्रति वचनबद्धता से विधि नियमों के प्रति अधिक इच्छा पैदा करनी है।

6.2 युवाओं में हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूकता पैदा करनी है और उनमें पर्यावरण और पारिस्थिति विज्ञान की समृद्धि सहित उनके संरक्षण के लिए वचनबद्धता के साथ स्वाभिमान तथा राष्ट्रीय पहचान की भावना पैदा करनी है।

6.3 युवाओं में अनुशासन, आत्म-सम्मान, न्याय और ईमानदारी, सार्वजनिक हित के लिए चिन्ता, खेल भावना और उसके अलावा उनमें विचारधारा और कार्य में वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करने में सहायता की जाए ताकि वे अन्य बातों के साथ-साथ रूढ़िवाद, अन्धविश्वास तथा अनेक सामाजिक कुरीतियों जिन्होंने राष्ट्र को घेर रखा है, को मिटा सके।

6.4 युवाओं को ऐसी अधिक से अधिक शिक्षा सुलभ करानी चाहिए जिससे वे अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व को विकसित कर सकें, उपयुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण दे सकें और बेकारी हटाओं के लक्ष्य की ओर रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर ले सकें।

6.5 अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति युवाओं को जागरूक करने तथा उन्हें विश्व शान्ति, सूझबूझ बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में शामिल करना।

## कार्य योजना

7. राष्ट्रीय युवा नीति के कार्यन्वयन के लिए निम्नलिखित कार्य योजना होगी

7.1 राष्ट्रीय एकीकरण की भावना, सांस्कृतिक एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता में विश्वास के साथ भारतीय संविधान के प्रति ज्ञान और आदर बढ़ाने पर लक्षित कार्यक्रम सभी युवा कार्यकलापों का मुख्य भाग बनेंगे।

7.2 हमारे इतिहास, स्वतंत्रता आन्दोलन, राष्ट्रीय विकास, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां तथा समाजिक-आर्थिक बाधाओं पर नियंत्रण करने और शीघ्र प्रगति के बारे में पूरी जानकारी उत्पन्न करने के लिए कार्यक्रम, हमारी सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक शक्ति के महत्व को कम किए बिना कार्यन्वित किए जाएंगे।

7.3 **अन्तर भारती** कार्यक्रम में भाग लेने के जरिए क्षेत्रीयवाद, साम्प्रदायिकता, भाषायी अन्ध-विश्वास और अन्य विभाजक तथा विखंडनीय मान्यताओं को समाप्त करने के लिए युवाओं को प्रेरित करने हेतु देश के विभिन्न भागों के युवाओं के बीच सम्बन्धों को बढ़ाने, गतिशीलता देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

7.4 बड़े पैमाने पर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के सार्थक कार्यक्रम शुरू किए जायें तब तक हमारे समाज के लाभवंचित वर्गों पर विशेष बल देते हुए शिक्षा के लाभ सभी युवा पुरुषों और महिलाओं और गैर-छात्र ग्रामीण युवाओं तक पहुंच सकें।

7.5 स्व-रोजगार के लिए युवाओं को अपेक्षित हूनर देने, उनके व्यावसायिक सुधार और उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें श्रम की गरिमा से अवगत कराने पर लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

7.6 व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के जरिए नेतृत्व प्रशिक्षण के लिए युवाओं को अवसर प्रदान करने तथा स्वैच्छिक सामाजिक और सामुदायिक सेवा के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

7.7 योग, देशी खेल और आधुनिक खेलों में बड़े पैमाने पर भाग लेने के जरिए शारीरिक उपयुक्तता को बढ़ाने के साथ-साथ खतरा लेने की भावना, मिलजुल कर कार्य करना तथा सहनशीलता की भावना को बढ़ाने के साहसिक कार्यकलापों को सभी युवा कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग बनाया जाएगा।

7.8 युवा माता-पिता, विशेषकर, विभिन्न सामाजिक बुराइयों, हानिप्रद आदतों तथा अंधविश्वास के खिलाफ आन्दोलन में सम्मिलित होकर और लघु परिवार तथा उपयुक्त परिवार कल्याण उपायों को अपनाकर सामाजिक परिवर्तन में उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका अदा करके अपनी जिम्मेवारी महसूस करेंगे।

7.9 अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ बढ़ाने और विश्वशान्ति को सुदृढ़ करने के लिए विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की हमारी महान परम्परा के प्रति ईमानदार होना, भारतीय युवा और विश्व भर के उनके साथियों के साथ निकट सम्पर्क बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा।

7.10 युवा व्यक्तियों और स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्य को पुरस्कार, छात्रवृत्ति तथा उसी प्रकार की पद्धति के जरिए पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हें मान्यता दी जाएगी।

## कार्यान्वयन

8. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, राष्ट्रीय युवा नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार में एक मुख्य एजेंसी होगी और उसके जरिए अपेक्षित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाएगी।
9. विभिन्न स्तरों पर युवाओं की आकांक्षाओं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उल्लिखित लक्ष्यों के सम्बन्ध में खर्चों तथा कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए नीति के कार्यान्वयन का सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तौर पर देखरेख और मूल्यांकन किया जाएगा। चल रही पद्धति के आधार पर और बीच-बीच में अपेक्षित सुधार को ध्यान में रखकर देख रेख और मूल्यांकन किया जाएगा।
10. गैर सरकारी, सार्वजनिक और निजी संस्थाओं द्वारा अधिक से अधिक भाग लेने को प्रोत्साहित किया जाएगा, और वस्तुतः राष्ट्रीय विकास के विशेष क्षेत्रों में युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। वित्तीय तथा संगठनात्मक सहायता के जरिए युवा संगठनों के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

## समन्वय

11. युवा कार्यक्रम का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग यह है कि ग्रामीण और शहरी, शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारी को समाप्त किया जाए। यह केन्द्रीय और राज्य के सभी सरकारी विभाग तथा गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा युवाओं के लिए किए गए सभी कार्यक्रमों को दर्शाएगा। यह परस्पर परामर्श और समन्वय तथा मित्रता से कार्य कर रही सभी इन एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार में युवा कार्यक्रम और खेल विभाग प्रत्येक एजेंसी की स्वतंत्र संचालन पहलुओं को व्यवस्थित रखते हुए समन्वय की प्रक्रिया के लिए आंकड़े, सूचना और विचारों के आदान-प्रदान के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए सभी प्रयास करेगा।
12. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक एजेंसियाँ, राष्ट्रीय युवा नीति के कार्यान्वयन में निकट समन्वय के रूप में कार्य करेगी। राज्य और केन्द्रीय सुविधाओं के अधिकतम प्रयोग के लिए और नीति में परिकल्पित कार्यकलापों के सभी पहलुओं में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर विस्तृत अभियान शुरू करेंगे और इन उद्देश्यों के लिए प्रभावी, अनुकूल और उत्तरदायी मशीनरी तैयार करेंगे।
13. राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम समिति (सी.ओ.एन.वाई.पी.) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग को राष्ट्रीय युवा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में अपने कर्तव्य निभाने में सलाह देने के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों और राष्ट्रीय युवा संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ स्थापित की जायेगी।



## निष्कर्ष

14. यह एक महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय युवा नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म शती के वर्ष में शुरू की जा रही है। नीति के कार्यान्वयन में राष्ट्र और सरकार, पंडित नेहरू, जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युवाओं को इकट्ठा किया था, अपितु आप ऐसे व्यक्ति थे जो स्वतंत्र भारत में युवाओं के उत्थान के प्रतीक बने थे, के दर्शन और विचारों द्वारा प्रेरित और मार्गदर्शित होंगे। उनकी विश्व इतिहास और उनकी आधुनिक, इस महान देश की परम्पराओं और पैतृक सम्पत्ति की परिस्थिति में कार्य कर रहे वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लिए पंडित नेहरू बड़े मानववादी थे, जिन्होंने समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र की विचारधाराओं के लिए प्रयास किया। भारत के संविधान में निहित ये मूलभूत सिद्धान्त और आदर्श इस नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही के सभी कार्यक्रमों को अवगत करेंगे ताकि भारत के युवा नए और गतिशील भारत के निर्माण में अपने कौशल, ज्ञान, शक्ति, उपयुक्त तकनीकी और विज्ञान के परिणामों को काम में लाने के आदर्शवाद, हमारी प्राचीन परम्पराओं पर दृढ़ विश्वास के आधार पर अपने विश्वास और भविष्य में विश्वास के साथ आगे बढ़े सकें।

## राष्ट्रीय खेल नीति

खेलों तथा शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों को अच्छे स्वास्थ्य के शारीरिक उपयुक्तता की उच्च श्रेणी व्यक्तिगत उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए तथा लाभप्रद मनोरंजन, सामाजिक मेल-मिलाप बढ़ाने तथा अनुशासन द्वारा उसके मूल्यों को भी अच्छी तरह माना गया है। अतः आयु और लिंग भेद न करते हुए, खेल-कूद और मनोरंजन कार्यक्रमों में प्रत्येक नागरिक द्वारा भाग लिए जाने की आवश्यकता को समान रूप में माना गया है। खेल-कूद में राष्ट्रीय स्तर को ऊंचा करने की आवश्यकता को भी माना गया है, ताकि हमारे खिलाड़ी (स्त्री-पुरुष) अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपना प्रशंसनीय कर्तव्य निभा सकें। इसलिए केन्द्र और राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे खेलों और शारीरिक शिक्षा के चहुंमुखी विकास की प्रक्रिया के लिए उसे बहुत उच्च प्राथमिकता प्रदान करें। उन्हें आवश्यक सुविधाएं और अवस्थापना और जनता में खेल जागरूकता पैदा करके परम्परागत और आधुनिक खेलों और योगा का भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा और विकास करना चाहिए ताकि उन के नियमित तौर पर खेलों और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने से एक अच्छे उपयुक्त और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हो सके।

2. भारत सरकार को इस बात से प्रसन्नता है कि उपरोक्त सिद्धान्तों और अनुवर्ती नीति विवरणों को राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त है। तदनुसार भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि देश में निम्न प्रकार से खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना शुरू किया जाए:

(1) **गांवों और नगरों में अवस्थापना:** व्यापक स्तर पर खेलों और शारीरिक शिक्षा के विकास का कोई भी कार्यक्रम तब तक नहीं सफल हो सकता जब तक कि गांवों और नगरों में आम जनता प्रौद्योगिक मजदूरों और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए समान रूप से खेलों की न्यूनतम सुविधाएं, जैसे कि खेल के मैदान, इन्डोर हाल, तरणताल इत्यादि उपलब्ध नहीं कराई जाती। अतः इस प्रकार की सुविधाएं चरणों में उपलब्ध कराई जाएं। ताकि यथा समय ये सारे देश में उपलब्ध हो जाएं। केवल तभी अधिक जनता द्वारा खेलों और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने के मूलभूत उद्देश्य को प्राप्त कर लेना संभव हो सकेगा। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजनार्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है।

(2) **खेल मैदानों और खुले स्थानों को सुरक्षित रखना:** केन्द्र और राज्य सरकारों को यदि आवश्यकता पड़े तो उपयुक्त कानून द्वारा गांवों और शहरी क्षेत्रों में मौजूद खेल मैदानों और स्टेडियमों को खेल प्रयोजनार्थ सुरक्षित रखने तथा खेलों

और शारीरिक शिक्षा कार्यकलापों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मौजूदा खुले स्थान उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए।

(3) **पोषण:** बड़े पैमाने पर जनसंख्या के पोषण के स्तर को सुधारने की आवश्यकता को पहले से ही माना गया है। इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए कि खिलाड़ियों (स्त्री-पुरुष) को दी जाने वाली खुराक में, विभिन्न खेलों, जिनमें वे भाग ले रहे हैं, की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक पौष्टिक मात्रा हो।

(4) **प्रतिभाशालियों का पता लगाना:** जो खेलों के विकास से संबंधित है, उन्हें कम उम्र के खेल प्रतिभाशालियों का पता लगाकर उन्हें प्रशिक्षित करने के सभी प्रयास करने चाहिए ताकि उनकी पूरी क्षमता साकार हो सके।

(5) **शैक्षणिक संस्थाओं में खेल और शारीरिक शिक्षा:** स्कूलों और अन्य ऐसी ही शैक्षणिक संस्थाओं में खेल और शारीरिक शिक्षा को नियमित विषय के रूप में पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विश्वविद्यालयों, कालेजों और डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने वाली अन्य संस्थाओं में भी खेल कार्यकलापों में भाग लेने के लिए अधिक बल देना चाहिए।

(6) **खेल संस्थाएं:** खेल विश्वविद्यालय, कालेज, स्कूल और छात्रवास जैसी संस्थाएं, जो अपनी पूरी क्षमता से खेल प्रतिभाशालियों का पता लगाने, प्रशिक्षण और विकास पर विशेष बल देती हैं, को स्थापित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इन संस्थाओं के अपने खेल तथा शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल के अलावा सामान्य शिक्षा उनके पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

(7) **प्रोत्साहन** — ऐसे खिलाड़ी जो खेलों में श्रेष्ठ हैं उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देना चाहिए।

(8) **रोजगार के लिए विशेष ध्यान:** ऐसे खिलाड़ी जो खेलों में श्रेष्ठ हैं उन्हें स्वयं रोजगार सहित, रोजगार देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

(9) **स्वैच्छिक प्रयास:** दोनों खेल प्रतियोगिताओं तथा खेल कार्यकलापों में बड़ी मात्रा में भाग लेने के लिए खेलों को बढ़ावा देने हेतु स्वैच्छिक प्रयास को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। अतः यह आवश्यक है कि भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन, राष्ट्रीय खेल संघ, खेल क्लब तथा अन्य ऐसे स्वैच्छिक निकायों के सहयोग को इस प्रयास में सम्मिलित किया जाए।

(10) **अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं:** भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन और राष्ट्रीय खेल संघों की प्रतियोगी खेलों के संबंध में विशेष जिम्मेदारी है। उन्हें राष्ट्र के गौरव को ध्यान में रखकर एकीकृत और संसक्तिशील छवि प्रदर्शित करनी चाहिए। जब अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय टीमों भाग लेती हैं तो उनका

उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। अतः ऐसे संघों को नियमित रूप से राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने हेतु प्रभावी योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा इस प्रयोजनार्थ खिलाड़ियों के उचित चयन शारीरिक उपयुक्तता और प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल के नियम में कोई ऐसा परिवर्तन करने पर विरोध भी करना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप खेल के मौलिक स्वरूप में परिवर्तन होने से किसी देश विशेष अथवा देशों के समूह की खेल क्षमता अथवा उसके तरीके को कोई क्षति पहुंचती है।

(11) **अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन:** राष्ट्रीय टीमों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तभी विदेशों में भेजना चाहिए जबकि उन्होंने शारीरिक अनुकूलन प्रशिक्षण तथा अभ्यास द्वारा ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए अपेक्षित स्तर प्राप्त कर लिए हों। विदेशों में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने अथवा देश में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने के समय देश की राजनयिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

(12) **प्रतियोगी खेलों में प्राथमिकता:** प्रतियोगी खेलों को प्रोत्साहन देते समय निम्नलिखित को प्राथमिकता देनी चाहिए:—

- (क) ओलम्पिक्स, एशियाई खेल तथा राष्ट्रमण्डलीय खेलों के लिए मान्यता प्राप्त खेल विषय; और
- (ख) ऐसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेल जिनके लिए विश्व संघ विद्यमान हो और जिन्हें शतरंज की तरह भारत में बड़े पैमाने पर खेला जाता हो।

(13) **उपयुक्त उपस्कर:** देश में खेल सामग्री के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वह खेलों में प्रयोग के लिए उचित मूल्य पर अंतरराष्ट्रीय स्वीकृत स्तर के उपस्करों का निर्माण और उपलब्ध करा सकें। जब तक देशीय खेल सामग्री उद्योग ऐसे उपस्कर निर्मित करने में समर्थ है, तब तक, खेल प्रतियोगिताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के अपेक्षित उपस्करों को निःशुल्क सीमा शुल्क से आयात करके उपलब्ध कराने चाहिए।

(14) **गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा खेल तथा शारीरिक शिक्षा का विकास:** केवल सरकार ही अपेक्षित बड़े पैमाने पर खेल तथा शारीरिक शिक्षा को विकसित तथा बढ़ावा नहीं दे सकती। वित्त, अवस्थापन तथा आयोजन के मामले में गैर-सरकारी संस्था चाहे वे सरकारी अथवा निजी हो, द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेने और समर्थन देने को प्रोत्साहित करना चाहिए।

(15) **अनुसंधान और विकास:** खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में दोनों निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में विशेष तौर पर देश में खेल विज्ञान के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(16) **जन संचार का प्रयोग:** देश में खेल जागरूकता का प्रचार करने तथा उसे बनाये रखने में जन संचार का प्रभावी तौर पर प्रयोग करना चाहिए।

3. इस खेल नीति के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बड़ी मात्रा में अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय की आवश्यकता पड़ेगी। खेलों तथा शारीरिक शिक्षा के विकास में लगाई गई पूंजी मानों स्वास्थ्य, उपयुक्तता उत्पादकता और लोगों के सामाजिक कल्याण में लगाई गई पूंजी है जो वस्तुतः हमारे विकास के लिए हमारी जन शक्ति को बढ़ाने के लिए है। अतः खेलों और शारीरिक शिक्षा में ऐसे निवेश को पर्याप्त रूप में बढ़ाना चाहिए।

4. भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ प्रत्येक पांच वर्षों में इस राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में की गई प्रगति की समीक्षा करेगी और ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप अपेक्षित आगे की कार्यवाही हेतु सुझाव देगी।

## युवा योजनाएं

भारत की जनसंख्या का 60% भाग 24 वर्ष की आयु से कम है, तथा 33% भाग 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अर्न्तगत आता है। युवा न केवल संख्या में अधिक हैं, अपितु हमारी जनसंख्या का सर्वाधिक भाग है। युवा नए विचारों के लिए संघर्षी हैं एवं परिवर्तनों और चुनौतियों के प्रति उत्तरदायी हैं तथा इनकी ओर प्रबल, सक्रिय और अग्रसर है। अतः इससे देश के विकास में युवाओं की मुख्य और महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट होती है।

2. युवाओं और समुदाय के सक्रिय योगदान के बिना युवा विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में अकेले सरकार सफल नहीं हो सकती। फिर भी युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं तथा इस सम्बंध में मुख्य भूमिका निभाने के लिए विभिन्न संगठन गठित किए हैं।

### नेहरू युवा केन्द्र संगठन

(रूपए 35 करोड़)

3. गैरछात्र और ग्रामीण युवाओं को रचनात्मक कार्यकलापों में शामिल करने के उद्देश्य से 1972 में कुछ जिलों में नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना करके एक अच्छी शुरुआत की गई। 1987 में नेहरू युवा केन्द्र संगठन नामक एक स्वायत्त निकाय कार्यक्रम के प्रसार और प्रशासन के लिए स्थापित किया गया। 350 जिलों में नेहरू युवा केन्द्र अब तक खोले गए हैं तथा देश के सभी शेष जिलों में सातवीं योजना (1989-90) के अंत तक खोले जाएंगे। नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यकलापों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, युवा क्लबों का विकास, खेल-कूद, नेतृत्व प्रशिक्षण और समुदाय सेवा शामिल है।

### राष्ट्रीय सेवा योजना

(15 करोड़ रूपए)

4. राष्ट्रीय सेवा योजना के नाम से लोकप्रिय इस योजना को गांधी शताब्दी वर्ष 1969 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना तथा समुदाय सेवा में छात्रों की भूमिका को बढ़ावा देना है तथा एन.एस.एस.

कालेजो और विश्वविद्यायों में युवाओं की एक स्वैच्छिक संस्था है। 1969-70 में एन.एस.एस. में 40,000 सेवाकर्मी थे जो कि अब बढ़कर 8,80,000 हो गए हैं। सातवी योजना के अन्त तक इस संख्या के 10 लाख तक पहुँचने की आशा है। सभी 135 विश्वविद्यालयों, मातृ विश्वविद्यालय और संस्थानों में कार्यरत एन.एस.एस. के अन्तर्गत इस समय 4,500 कालेज शामिल है। समुदाय में नियमित और विशेष शिविर कार्यक्रमों का आयोजन करने का उद्देश्य युवा छात्रों में सामाजिक जागृति लाना है।

### **राष्ट्रीय सेवा सेवाकर्मी योजना:**

**(7.50 करोड़ रूपए)**

5. राष्ट्रीय सेवा सेवाकर्मी योजना को 1977-78 में शुरू किया गया तथा इस योजना का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के कार्यकलापों में स्वैच्छिक आधार पर स्वयं को लगाने के लिए प्रथम स्नातक को अवसर प्रदान करना है। सेवाकर्मी नेहरू युवा केन्द्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना एककों के साथ मिलकर कार्य करते हैं और स्वैच्छिक संगठनों का चयन करते हैं तथा समुदाय के लिए सृजनात्मक और रचनात्मक कार्य करते हैं। सेवाकर्मियों को 300 रूपए प्रति माह छात्रवृत्ति और 150 रूपए नियत यात्रा भत्ता दिया जाता है।

### **साहसिक कार्यक्रम:**

**(3.56 करोड़ रूपए)**

6. युवा कार्यक्रम और खेल विभाग पर्वतारोहण, ट्रेकिंग, हाइकिंग, प्रकृति सम्बन्धित आकंठे एकत्र करने के लिए प्रकृति की खोज, वनस्पति और जीव-जन्तु का अध्ययन तथा तटीय यात्रा के साथ-साथ इन कार्यकलापों में युवा व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता देता है। इस योजना का उद्देश्य साहस और टीमकार्य की भावना का विकास करने, परिस्थितियों का सामना करने तथा अनुशासन और सहनशीलता का विकास करना है।

### **स्वैच्छिक संगठनों को सहायता:**

**(1.00 करोड़ रूपए)**

7. युवा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने, समाज पुनर्निर्माण में युवाओं को लगाने, युवा कार्यकलापों में शोध और प्रयोग करने को बढ़ावा देने, युवा नेताओं को प्रशिक्षण देने और युवा प्रतिनिधिमंडलों के अन्तर-राज्यीय आदान-प्रदान के आयोजन के लिए सहायता दी जाती है। सफलता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि, पशु पालन, सिलाई और कढ़ाई आदि में व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है ताकि युवाओं को स्व-रोजगार और बेहतर व्यवसायी बनाया जा सके।

### **राष्ट्रीय एकीकरण शिविर:**

**(5.00 करोड़ रूपए)**

8. देश की एकता और अखण्डता तथा युवाओं की धर्मनिर्पेक्ष एकीकरण की अवधारणा से उनका उत्तरदायी नागरिक के रूप में उभरकर आना बांछनीय एवं

अनिवार्य है। इस प्रकार के युवा शिविरों में अन्तर-राज्यीय विनिमय, बड़े पैमाने पर समारोह, पर्यावरण शिविर तथा राष्ट्रीय/सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर सेमीनार-महोत्सव शामिल है। सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों के लिए 50% रेलवे रियायत उपलब्ध है।

### **राष्ट्रीय युवा पुरस्कार:**

**(0.30 करोड़ रूपए)**

9. विकास कार्यकलापों और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों के युवा कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले युवाओं को पुरस्कार दिए जाते हैं। युवा पुरस्कार के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय उनके द्वारा प्रदर्शित तथा सफलतापूर्वक किए गए स्वैच्छिक कार्यकलाप की मापदण्ड होंगे। एकल व्यक्तियों के मामले में युवा पुरस्कार में एक पदक, एक स्कोल और 5,000 रूपए शामिल हैं। स्वैच्छिक युवा संगठन को पुरस्कार के रूप में एक ट्राफी और एक स्कोल, सहित 1,00,000/- रूपए दिए जाते हैं। अब तक 34 युवा एवं 3 संस्थाएं पुरस्कृत हो चुके हैं।

### **युवा क्लबों को सहायता:**

**(5 करोड़ रूपए)**

10. युवा क्लब देश के दुनिवादी संगठन है। पुस्तकालय और वाचनालय सुविधाओं, खेल कार्यकलापों सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि जैसे कार्यक्रमों के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है। नए पंजीकृत युवा क्लब को प्रथम वर्ष में 2,000/- रूपए की एक मुश्त सहायता और अगले दो वर्षों में 1,000/- रूपए दिए जाते हैं तथा उस समय तक उनके आत्मनिर्भर होने की आशा की जाती है।

### **युवाओं को प्रशिक्षण**

**(3 करोड़ रूपए)**

11. पशु-पालन, कृषि की संशोधित विधि, सहकारिता की स्थापना करने, स्वास्थ्य शिक्षा और स्थानीय स्तर पर प्रबन्ध जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है। इससे युवा न केवल अच्छा बनने हेतु प्रेरित होते हैं अपितु ग्रामीण समुदाय में ऐसा ज्ञान और जागरूकता कई गुणा बढ़ती है।

### **युवाओं के लिए प्रदर्शनी**

**(0.75 करोड़ रूपए)**

12. इस योजना के अन्तर्गत लोकनृत्य और संगीत, सांस्कृतिक विरासत, परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के साथ-साथ चित्रकला, कला और दस्तकारी पर प्रदर्शनियों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस से देश के विभिन्न भागों के युवाओं को अन्य भागों के लोगों के जीवन के तौर-तरीकों और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है।

### **युवा छात्रावास**

**(20.00 करोड़ रूपए)**

13. देश के भीतर युवा भ्रमण को बढ़ावा देने को ध्यान में रखकर युवा छात्रावास, विभाग और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किए जा रहे हैं। भूमि राज्य



सरकारों द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। स्थानीय प्रबन्ध समिति इन छात्रावासों को चलाने का निरीक्षण करती है। 26 युवा छात्रावास विभिन्न राज्यों जैसे गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पहले ही चल रहे हैं तथा 38 और प्रगति में हैं। मनोरंजन सुविधाओं सहित सस्ता आवास और पौष्टिक भोजन युवा भ्रमणकारियों को प्रोत्साहित करने में मुख्य उद्देश्य सिद्ध हुआ है।

### अंतर्राष्ट्रीयता

14. विभाग राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम, यू.एन.वी. कार्यक्रम और अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों (सी.ई.पी.) और नयाचारों के जरिए सांस्कृतिक विनिमय तथा विदेशों में युवा महोत्सव और भारत में विदेशी युवा महोत्सव जैसी योजनाएं कार्यान्वित करता है।

## खेल योजनाएं

**खेल अवस्थापना, उपस्कर और प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों/राज्य खेल परिषदों/स्वैच्छिक निकायों आदि को अनुदान (60.00 करोड़ रुपये)**

1. खेल अवस्थापना के सृजन के लिए राज्यों को 50%, (पहाड़ी क्षेत्रों को 75%) और संघ शासित क्षेत्रों को 100% के आधार पर केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की अवस्थापनाओं के लिए सीमाएं निर्धारित की गई हैं। उपस्कर और प्रशिक्षण शिविरों के लिए भी अनुदान दिया जाता है। खेल सुविधाओं के सृजन के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में चुने हुए एक स्कूल को 1.00 लाख रुपये तक की सहायता भी दी जाती है। इस परियोजना के अर्न्तगत सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 31.91 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

**राष्ट्रीय खेल संगठन (विश्वविद्यालय खेल-कूद) (16.82 करोड़ रुपये)**

2.1 खेल अवस्थापना के सृजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान दिया जाता है इस योजना के अर्न्तगत 1987-88 तक 6.26 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

2.2 अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए भी भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन (ए.आई.यू.) को अनुदान दिया जाता है। हाल ही में, अन्तर-विश्वविद्यालयों टूर्नामेंटों की योजना को पुर्नगठित किया गया है, ताकि युवाओं को अधिक से अधिक भाग लेने को प्रोत्साहित किया जा सके तथा इसे अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके। 1989-90 से व्यय का स्तर चालू वर्ष के दौरान लगभग 9 लाख रुपये के स्थान पर 28.20 लाख रुपये होगा।

2.3 1988-89 से, पुरस्कार राशि योजना विजेता विश्वविद्यालयों के लिए शुरू की गई है। प्रत्येक 13 खेलों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों को क्रमशः 50,000/-, 30,000/- और 20,000/- रुपये प्रतिवर्ष दिए जायेंगे। पुरस्कार राशि इन विश्वविद्यालयों में खेल सुविधाओं के सृजन और विस्तार के लिए उपयोग की जायेगी।

2.4 1956-57 में शुरू की गई मौलाना आजाद ट्रॉफी एक चल ट्रॉफी है जो विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में सभी प्रकार से श्रेष्ठ प्रदर्शन व उपलब्धि के लिए एक

विश्वविद्यालय को दी जाती थी। 1988-89 से विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के सम्पूर्ण मूल्यांकन के आधार पर विश्वविद्यालयों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 50,000/- 25,000/- और 10,000/- रुपये की पुरस्कार राशि दी जायेगी। इसका लक्ष्य विश्वविद्यालयों में खेल सुविधाओं के विस्तार और सृजन के लिए वित्त पोषित करना भी है।

### **खेलों के विकास के लिए प्रोत्साहन योजना**

**(13.18 करोड़ रुपये)**

3.1 50,000 से 5 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि ओलम्पिक, राष्ट्रसंघ और एशियाई खेलों और विश्व-चैम्पियनशिप में पदक विजेताओं को तथा शतरंज, बिलियर्ड और स्नूकर में विश्व स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को दी जाती है।

3.2 10,000/- रुपये की पुरस्कार राशि भी विशिष्ट खेलों में (5 लड़कों तथा 4 लड़कियों की) जिला स्तरीय टूर्नामेंटों में प्रत्येक जिले में विजेता उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को दी जाती है।

3.3 1987-88 तक, इस योजना के अन्तर्गत 4.19 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

### **सिंथेटिक ट्रैकों और कृत्रिम सतह की योजना**

**(13.00 करोड़ रुपये)**

4.1 यह योजना हाकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कृत्रिम सतह तथा एथलेटिक्स के लिए सिंथेटिक ट्रैक प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। 1987-88 तक का व्यय 2.64 करोड़ रुपये है।

4.2 इस योजना के अन्तर्गत अब तक लखनऊ, त्रिवेन्द्रम, ग्वालियर, बम्बई, दिल्ली, अमृतसर, रांची, हिसार और कलकत्ता में सिंथेटिक ट्रैक/कृत्रिम सतह पर मंजूर किए गए हैं।

4.3 उपरोक्त योजना के अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण ने पटियाला, दिल्ली, बंगलौर, कलकत्ता और गांधी नगर में अपने क्षेत्रीय केन्द्रों में ट्रैक/सतह या तो बिछाए हैं या बिछाने की कार्यवाही कर रहा है।

### **महिलाओं में खेलों को बढ़ावा देना**

5.1 3,600 रुपये की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष एकल प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में प्रथम स्थान प्राप्त करने या अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए महिलाओं को दी जाती है।

5.2 महिलाओं के लिए विकास खण्ड, जिल्ला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप आयोजित की जाती है। वार्षिक व्यय अब 58 लाख रुपये है। सहायता की योजना को हाल ही में उदार बनाया गया है।

### **ग्रामीण खेल टूर्नामेंट**

6. ग्रामीण टूर्नामेंट विकास खण्ड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। इस पर होने वाला खर्च प्रतिवर्ष 50 लाख रूपये है।

### **खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना**

**(5.00 करोड़ रूपये)**

7.1 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चैम्पियनों को क्रमशः 2700 रु. और 1800 रु. की छात्रवृत्तियों प्रति माह दी जाती हैं। राष्ट्र स्तरीय चैम्पियनों के लिए छात्रवृत्तियों की वार्षिक संख्या 1200 और राज्य स्तरीय चैम्पियनों के लिए 2095 है।

7.2 गत वर्ष के दौरान दी गई छात्रवृत्तियों में से आगामी वर्ष में कुछ नवीकृत भी की जाती है।

### **खेल छात्रों को यात्रा अनुदान**

**(25 लाख रूपये)**

8. अन्तर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लेने के लिए खेल छात्रों और खिलाड़ियों के आवागमन का अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा खर्च विभाग द्वारा वहन किया जाता है।

### **खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष**

9. अभावग्रस्त परिस्थितियों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता तथा ऐसे खिलाड़ियों को पेंशन और चिकित्सा सहायता के साथ-साथ मुख्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करने के लिए सहायता दी जाती है। कोष में इस समय 31.5 लाख रूपये उपलब्ध हैं।

### **राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता**

**(15.00 करोड़ रूपये)**

10. सब जूनियरों, जूनियरों और सीनियरों के लिए प्रशिक्षण, कोचिंग, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने के साथ-साथ भारत में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तथा विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय खेल संघों को उदारपूर्वक सहायता दी जाती है। सहायता उपस्कर खरीद के लिए भी दी जाती है।

### **द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार**

11.1 सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राष्ट्र द्वारा उच्चतम मान्यता देने के लिए 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू किए थे। 1986 तक, 366 खिलाड़ियों ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य मूर्ति, एक स्कोल और अब 20,000/- रूपये की राशि शामिल हैं।

11.2 द्रोणाचार्य पुरस्कार देश में सुविख्यात प्रशिक्षकों को राष्ट्र की मान्यता और सम्मान देने के लिए 1985 में शुरू किया गया था। अब तक 5 प्रशिक्षकों ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है, जिसमें एक प्लेक्वू एक स्कोल और अब नकद 40,000/- रूपये है।

## **खेल और शारीरिक शिक्षा टीमों/विशेषज्ञों का आदान-प्रदान (70.00 लाख रूपये)**

12. अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों/खेल नयाचारों के अन्तर्गत विदेशों से भारत में टीमों आमंत्रित की जाती हैं तथा भारत से विदेशों को टीमों भेजी जाती हैं। 1987 में सोवियत संघ, जी.डी. आर., क्यूबा और मारीशस के साथ तथा 1988 में चकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया के साथ खेल नयाचारों पर हस्ताक्षर करने से खेलों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में तेजी से वृद्धि हुई और 46 देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों/संयुक्त आयोगों में खेलों में आदान-प्रदान शामिल है। 1989 में चीन के साथ खेल नयाचार होने की सम्भावना है।

## **राष्ट्रीय खेल संस्थान**

13. इस प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान द्वारा, कोच तैयार करने के लिए प्रशिक्षण और खेल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। खेलों पर क्लिनीक, कार्यशालाएं, और सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न विषयों में सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए खेल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इस संस्थान ने अब तक 766 महिलाओं सहित 8367 प्रशिक्षक तैयार किए हैं।

## **लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल कालेज, एस.ए.आई. ग्वालियर और त्रिवेन्द्रम।**

14. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम के आयोजन के लिए प्रमुख संस्थान है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, त्रिवेन्द्रम भी अब शुरू हो गया है। अब तक लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज ने 2934 शारीरिक शिक्षा शिक्षक तैयार किए हैं।

## **क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना (एस.ए.आई.) (31.45 करोड़ रूपये)**

15. बंगलौर, कलकत्ता, अहमदाबाद तथा इम्फाल के क्षेत्रीय केन्द्र पहले ही शुरू हो गए हैं। उप केन्द्र गुवाहटी और औरंगाबाद ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है।

## **विशेष परियोजनाएं**

16. शिलारू-शिमला में उच्च शिखर प्रशिक्षण केन्द्र, एल्लेपी, (केरल) तथा पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार) में जल खेल केन्द्र, रामगढ़ झील में नौकायन केन्द्र, जल खेल परिसर और मनाली में शरद खेल परिसर ने या तो कार्य करना शुरू कर दिया है या निकट भविष्य में शुरू कर देंगे।

## **स्कूल को अपनाने सहित प्रतिभाशालियों का पता लगाना तथा पोषण करना (एन.एस.टी.सी.)**

### **(14.10 करोड़ रूपए)**

17.1 भारतीय खेल प्राधिकरण 9 से 12 आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 10 खेल विषयों में खेल प्रतिभा प्रतियोगिता आयोजित करता है। चुने गए लड़कों और

लड़कियों को प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिल किया जाता है, जो कि विशेषतौर पर अपनाये गये हैं और जहाँ उनके शैक्षिक पाठ्यक्रम के अलावा उन्हें विशिष्ट खेलों में उच्च प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

17.2 इस योजना के अन्तर्गत विशेष खेल अवस्थापनाओं/सुविधाओं के सृजन के लिए प्रत्येक अपनाए गए स्कूल को 5.00 लाख रुपए तक दिए जाते हैं तथा उन्हें प्रशिक्षक और कोचिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब तक चुने गये कुल बच्चों की संख्या 1484 है (937 लड़के और 547 लड़कियां) जिनमें से 642 (419 लड़के और 223 लड़कियां) को पहले ही दाखिला दे दिया गया है।

### **विशेष क्षेत्र खेल**

#### **(2.00 करोड़ रूपये)**

18. इस योजना के अन्तर्गत तीरदांजी, जूडो, मुक्केबाजी, फुटबाल, हॉकी, जल खेल, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स जैसे विभिन्न खेलों में देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों और आदिवासी, पहाड़ी और समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रतिभा गहन खोज के बाद युवा प्रतिभाशालियों को भर्ती किया जाता है।

### **जूनियरों के लिए प्रशिक्षण शिविर**

#### **(2.60 करोड़ रूपये)**

19. विकास खण्ड और मंडल स्तरों पर जूनियर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

### **एस.पी.डी.ए. (विशेष परियोजना विकास क्षेत्र योजना)**

20. 1988-89 से यह नई योजना शुरू की गई है। जिसके अन्तर्गत 80-100 विकास खण्डों (मोटे तौर पर 4-5 जिले) के समूह के लिए एक परियोजना होगी जहाँ पर्याप्त खेल सुविधाएं सृजित की जायेंगी तथा प्रतिभाशाली युवाओं को प्रशिक्षण और कोचिंग दिया जायेगा। केन्द्र और राज्य का खर्च में हिस्सा बराबर होगा। प्रत्येक एस.पी.डी.ए. के गठन पर 1 करोड़ रूपए की लागत की अपेक्षा की जाती है।

### **तकनीकी खेल उपस्करों/उपभोज्य खेल उपस्करों का केन्द्रीय कक्ष**

#### **(4.64 करोड़ रूपये)**

21. भारतीय खेल प्राधिकरण अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने हेतु सर्वोत्कृष्ट जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों के प्रयोग के लिए खेल उपस्करों का कक्ष बनायेगा।

### **जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एस.ए.आई. दिल्ली में खेल चिकित्सा केन्द्र की स्थापना**

#### **(98 लाख रूपये)**

22. अपेक्षित खेल चिकित्सा प्रदान करने हेतु यह केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। यह तेजी से उभर रहा है।

### **खेल विज्ञान अनुसंधान छात्रवृत्तियां**

(98 लाख रूपये)

23. खेल डाक्टरों और खेल वैज्ञानिकों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। प्रत्येक छात्रवृत्ति की लागत 20,000/- रूपये वार्षिक तथा 10,000/- रूपये का फुटकर अनुदान है।

### **खेल छात्रावास**

(3.80 करोड़ रूपये)

24. इस योजना के अन्तर्गत अब तक देश में 11 खेल छात्रावास तैयार किए गए हैं। जहां चुने गये खिलाड़ियों को निशुल्क भोजन तथा आवास और विभिन्न खेल विषयों में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

### **राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना**

(4.50 करोड़ रूपये)

25. योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने के लिए, राष्ट्रीय स्तरों को प्रशिक्षण शिविरों, क्लिनिक और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का संचालन कर राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने के लिए सहायता दी जाती है।

### **देशी खेलों और मार्शल कलाओं का विकास**

(1.00 लाख रूपये)

26. इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में देशी खेलों और मार्शल कला को प्रोत्साहित करना है।

### **कम्प्यूटरीकृत खेल डाटा बैंक की स्थापना**

(0.50 करोड़ रूपये)

27. इसका लक्ष्य मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के विस्तृत आकड़े रखना है। इससे भविष्य में नियोजन और प्रशिक्षण में सहायता मिलती है।

टिप्पणी: क्रम सं. 13 से 27 तक की योजनाएं भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

## गत चार वर्षों की उपलब्धियां

एक निर्णायक सामाजिक समूह के रूप में युवाओं का, जो भारतीय जनसंख्या का तिहाई भाग है, उभरना आज भारत की मुख्य विशेषताओं में से एक है। 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनने पर इस मंत्रालय के युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने युवाओं और खेल कार्यक्रमों को सार्थक महत्व देना शुरू किया है। अधिक से अधिक राशि देकर कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रनिर्माण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए युवाओं को संगठित करने तथा खेलों के लिए अवस्थापना, कोचिंग और प्रशिक्षण सुविधाएं सृजित करने पर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है।

### मुख्य संकेतक

1. सातवीं योजना के परिव्यय को छठी योजना परिव्यय के 23.29 करोड़ रुपये से 300 करोड़ रुपये कर, 13 गुणा बढ़ाया गया है। सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में परिव्यय 179.69 करोड़ रुपये है।
2. भारत और सोवियत संघ महोत्सवों में युवाओं और खेल टीमों ने सफलतापूर्वक पारस्परिक भाग लिया है।
3. 1987 में सोवियत संघ, जी.डी.आर., क्यूबा और मारीशस के साथ तथा 1988 में चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया के साथ खेल नयाचारों पर हस्ताक्षर करने से अन्तर्राष्ट्रीय खेल सहयोग में तेजी से वृद्धि हुई। 46 देशों के साथ हुये सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों/संयुक्त आयोगों के अन्तर्गत खेलों में आदान-प्रदान शामिल है। चीन के साथ एक खेल नयाचार 1989 में होने वाला है।
4. राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थान के लिए सोसायटी (स्नाईप्स) का, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में, गठित भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ विलय किया गया है।
5. भारतीय खेल प्राधिकरण के स्टेडियमों में "पे एण्ड प्ले" योजना शुरू की गई है जो काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई है।
6. भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केन्द्र बंगलौर को खेलों का उत्कृष्ट केन्द्र घोषित किया गया।
7. भारतीय खेल प्राधिकरण के 6 क्षेत्रीय केन्द्रों और 2 उप केन्द्रों की स्थापना और विकास जारी है।
8. मुन्नरो द्वीप समूह (एलेप्पी-केरल) और पोर्ट ब्लेयर में जलीय खेल केन्द्र स्थापित किए गए हैं।



9. भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 1985 से शुरू की गई राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के जरिए खेलों में युवा प्रतिभाशालियों का पता लगाना तथा उनका पोषण करना।

10. दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों के गिने चुने खेलों में प्राकृतिक प्रतिभा की खोज करने के लिए 1986-87 में विशेष क्षेत्र खेल योजना शुरू की गई थी। दीर्घकालीन प्रशिक्षण के लिए 28 तीरन्दाजों को चुना गया था जिनमें से 4 को एशियाई तीरन्दाजी चैम्पियनशिप के लिए भारतीय टीम में स्थान मिला। उन्होंने देश के लिए पहली बार कांस्य पदक जीता।

11. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला ने भारतीय औषधि परिषद के सहयोग से भारत में पहली बार खेल औषधि में 10-मासिक पोस्ट एम.बी.बी.एस. डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया।

12. प्रथम राष्ट्रीय खेल 1985 में दिल्ली में तथा द्वितीय 1987 में केरल में आयोजित हुए थे। 2 करोड़ रुपये अपेक्षित खेल अवस्थापना के सृजन हेतु केरल को मंजूर किए गए थे। तीसरे राष्ट्रीय खेल 1989 में पंजाब में होंगे।

13. तीसरे दक्षिणी एशिया फेडरेशन खेल कलकत्ता में नवम्बर, 1987 में आयोजित हुए तथा भारत ने 75 स्वर्ण, 41 रजत और 19 कांस्य पदक जीतकर सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया था। भारत सरकार ने खेल आयोजित करने के लिए 10 करोड़ रुपए साल्ट लेक स्टेडियम, कलकत्ता को मंजूर किए।

14. खेल अवस्थापना के लिए उदारशील अनुदान योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 34.57 करोड़ रुपये दिए गए। सातवीं योजना परिव्यय 60 करोड़ रुपये है।

15. विशिष्ट श्रेणीबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले एकल खिलाड़ियों को 50,000/- रुपये से 5 लाख रुपये के तथा टीमों को 75,000/- से 20 लाख रुपये के विशेष पुरस्कार योजना शुरू करना।

16. राष्ट्रीय खेल संगठन योजना के अन्तर्गत, विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेल अवस्थापना के सृजन के लिए 8.72 करोड़ रुपये दिए गए। सातवीं योजना परिव्यय 16.32 करोड़ रुपये है।

17. विश्वविद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए फील्ड स्टेशन कार्य कर रहे हैं।

18. जिला स्तरीय टूर्नामेंटों को जीतने वाले स्कूलों को देश के प्रत्येक जिले में 9 खेलों में 10,000/- रुपये के नकद पुरस्कार की योजना प्रोत्साहन के रूप में शुरू की गई है। अब तक का व्यय 4.05 करोड़ रुपये है।

19. 11 खेल छात्रावासों की स्थापना।

20. प्रत्येक वर्ष खेलों में प्रथम तीन स्थान पर आने वाले विश्वविद्यालयों के लिए क्रमशः 50,000/- रुपये, 30,000/- रुपये और 20,000/- रुपये के नकद पुरस्कार प्रारम्भ किए हैं। वार्षिक परिव्यय अब 13 लाख रुपये है।

21. मौलाना आजाद ट्राफी 1956-57 में शुरू की गई। अब तक यह चल ट्राफी थी जो विश्वविद्यालय खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती थी। 1988-89 से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले विश्वविद्यालयों को क्रमशः 50,000/- 25,000/- और 10,000/- रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया जायेगा।

22. अंतर-विश्वविद्यालय खेल टूर्नामेंट योजना - अगले वर्ष से इसका कार्यान्वयन और उदारता पूर्वक किया जाएगा जिसपर वार्षिक परिव्यय 28.20 लाख रुपये होगा जबकि 1987-88 में 9.17 लाख रुपये था।

23. उच्च अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक ट्रैक/सतह लखनऊ, कलकत्ता, ग्वालियर, नई दिल्ली (शिवाजी स्टेडियम में द्वितीय सतह) और त्रिवेन्द्रम में बिछाये गये हैं। कलकत्ता, बंगलौर और गांधी नगर में सिंथेटिक ट्रैक/सतह बिछाने का कार्य प्रगति पर है। हिसार, अमृतसर, रांची और बम्बई के लिए भी यह मंजूर किए गए हैं। इस पर सातवीं योजना का परिव्यय 13 करोड़ रुपये है।

24. संचालन उत्कृष्टता कार्यक्रम (1988-90) मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और सुव्यवस्थित ढंग से प्रयास करने के लिए, सरकार द्वारा 1988 के प्रारम्भ में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के चयन में निष्पक्षता के सिद्धान्त को अपनाया गया है।

25. खेल उपलब्धियों की विशेषतायें: 25.1: 1986 में आयोजित 10 वें एशियाई खेल सियोल में भारत ने कुल 37 पदक (5 स्वर्ण, 9 रजत और 23 कांस्य) जीते। 1985 एवं 1987 में आयोजित एशियन शेलर स्केटिंग चैम्पियनशिप में भारत ने दोनों ही बार तीन-तीन स्वर्ण पदक जीते। श्री विश्वनाथन आनन्द ने जुलाई 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैम्पियनशिप जीती और उसी वर्ष ग्रान्ड मास्टर भी घोषित किये गये। यह सम्मान पाने वाले वे प्रथम भारतीय हैं। इस युवावस्था में विश्व में इस पद को पाने वाले चार में से एक है। श्री गीत सेठी ने 1987 में विश्व बिलियर्ड चैम्पियनशिप जीती। 1988 में माल्टा में आयोजित राष्ट्रमंडलीय भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में भारत ने 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते।

25.2 सियोल ओलम्पिक के फलस्वरूप भारतीय हाकी टीम ने अपना विश्व में 11 वें स्थान से छठा स्थान हासिल किया। मर्सी कुस्टन ने 400 मीटर और शाइनी अब्राहम ने 800 मीटर में एशिया की सबसे तेज धावक होने का गौरव प्राप्त किया। भारतीय महिला रिले टीम ने इस ओलम्पिक में अपने 1986 एशियाड के समय में भी सुधार किया और एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में उभरी। दो भारतीय मुक्केबाजों ने अपनी भार श्रेणी में प्रथम पाँच में स्थान प्राप्त किया। सोमा

दत्ता ने एशिया की तीसरी सर्वश्रेष्ठ महिला निशानेबाजी का प्रदर्शन किया। भारतीय याटिंग टीम ने विश्व में 17वाँ एवं एशिया में दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारोत्तोलन में भारतीय खिलाड़ी श्री मुर्थस्वामी ने राष्ट्रमंडल खेलों के रिकार्ड को पीछे छोड़ दिया और ओलम्पिक के ग्रुप बी में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

25.3 1988 के शतरंज ओलम्पियाड में भारतीय पुरुष टीम ने 15 वाँ एवं महिला टीम ने 11 वाँ स्थान प्राप्त किया। ब्रिज ओलम्पियाड 1988 में भारत सेमी-फाइनल में पहुँचा।

25.4 मेलबोर्न में हुई विश्व शरीर सौष्ठव चैम्पियनशिप 1988 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता।

26. संविधान (61वाँ संशोधन) विधेयक 1988 "खेल" विषय को भारतीय संविधान की "राज्य सूची" से "समवर्ती सूची" में स्थानान्तरित करने के लिए राज्य सभा में 24 नवम्बर 1988 को पेश किया गया।

27. खेलों में रंगभेद के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रभावी बनाने के लिए 7 दिसम्बर, 1988 को राज्य सभा में रंगभेद विरोधी खेल विधेयक, 1988 पेश किया गया।

28. देश के युवाओं को सार्थक और रचनात्मक अवसर देने तथा राष्ट्र निर्माण के कार्यकलापों में उन्हें लगाने के लक्ष्य से व्यापक विचार-विमर्श और परामर्श करने के बाद राष्ट्रीय युवा नीति को 30 नवम्बर, 1988 को राज्य सभा में तथा 1 दिसम्बर, 1988 को लोक सभा के पटल पर रखा गया।

29. क्षेत्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय युवा समारोह वार्षिक तौर पर आयोजित किए जा रहे हैं। यह समारोह 15 वर्ष के अंतराल के बाद 1985 में पुनः शुरू किये गये हैं।

30. नेहरू युवा केन्द्र संगठन की स्थापना एक स्वायत्त संगठन के रूप में ग्रामीण युवाओं के लिए बने कार्यक्रमों को नई दिशा प्रदान करने के लिए की गई है। देश में नेहरू युवा केन्द्रों की संख्या 350 तक हो गई है। सातवीं योजना के अंत तक सभी जिलों में नेहरू युवा केन्द्र खोले जायेंगे।

31. समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास के क्षेत्र में युवाओं और स्वेच्छक संगठनों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए वर्ष 1985 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार शुरू किए गए। 1985-86 और 1986-87 में 19 व्यक्तियों और 2 स्वेच्छक युवा संगठनों को मिलाकर कुल 21 पुरस्कार प्रदान किए गए। 1987-88 के लिए 16 पुरस्कार मंजूर किए गए हैं (15 व्यक्ति तथा 1 संगठन)।

32. राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत सेवाकर्मियों की संख्या 1985 में 6.10 लाख से बढ़कर 1987-88 में 8.87 लाख हो गई है। वर्ष 1990 तक 10 लाख छात्रों को इसमें शामिल करने का लक्ष्य है। इस योजना को अब स्थायी बनाया गया है।

राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रभावी आयोजन, समन्वय के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से राज्य स्तरीय सैलॉन् की स्थापना की जा रही है।

33. सेवाकर्मियों की योग्यता और संख्या को बढ़ाने के लिए यूनिसेफ और केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के सहयोग से स्वास्थ्य प्रसार कार्यक्रम में लगभग 200 कालेज एन.एस.एस. एककों का विकास करने का निर्णय लिया गया है।

34. भर्ती किए गए 40% एन.एस.एस. सेवाकर्मियों को वर्ष 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के 'बृहत कार्यकारी साक्षरता कार्यक्रम' (एम.पी.एफ.एल.) में शामिल किया गया है।

35. राष्ट्रीय सेवा सेवाकर्मियों की संख्या 3000 तक पहुंच गई है।

36. स्काउट और गाईड आन्दोलन को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्ष 1990 तक इस आन्दोलन में वर्तमान 17 लाख की तुलना में 18 लाख छात्रों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

37. सातवीं योजना के अन्तर्गत अब तक 8 और युवा छात्रावास बनाए गए हैं और 28 छात्रावास निर्माणाधीन हैं। इस समय कुल 26 निर्मित छात्रावास हैं।

38. प्रारम्भिक स्तर पर युवा क्लबों के विकास को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1986-87 में युवा क्लबों को सहायता की योजना तैयार की गई है।

39. राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) के सहयोग से वर्ष 1987-88 के दौरान पैरा सैलिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किये गये हैं।

40. सामुद्रिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता द्वारा 15 अगस्त, 1988 को यमुना नदी पर दिल्ली से कलकत्ता तक एक रोमांचक साहसिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वर्ष 1987-88 में एक "स्वतंत्रता चालीस साइकिल अभियान" आयोजित किया गया जिसमें 65 जिलों से 1600 साइकिलिस्टों ने भाग लिया था। ऐसा ही एक कार्यक्रम 1000 युवाओं के लिए भोपाल में जनवरी, 1989, में आयोजित किया जा रहा है।

41. गांधी ग्राम में 4-12 जून तक, पणजी में 25 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक और लखनऊ में 7-16 नवम्बर, 1988 तक बृहत राष्ट्रीय एकीकरण शिविर आयोजित किए गए थे। प्रत्येक शिविर में 1000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया।

# NATIONAL YOUTH POLICY

## INTRODUCTION

Youth, in all ages, has been in the vanguard of progress and social change. Thirst for freedom, impatience for quicker pace of progress and a passion for innovation, coupled with idealism and creative fervour, saw the youth in the forefront of the freedom struggle in our own land. If our youth was inspired by the call of the Father of the Nation in the first half of this century, the youth of today face the challenge of economic development and technological progress with social justice.

The youth of India, representing a third of our population, constitute a vital and vibrant human resource. They have a right, as well as an obligation, to participate actively in national development and in shaping the DESTINY OF THE NATION which is, in point of fact, their own destiny. Their problems are many and varied and their aspirations naturally high, in a country with a great Past and greater promise for the future. The need, therefore, is to create increasing opportunities for them to develop their personality and their functional capability and thus make them economically productive and socially useful.

Such opportunities have to be created on a large scale, to cover a wide spectrum of areas of human endeavour; and they have to be made available to youth of all strata of society, particularly the disadvantaged. All national programmes should be directed to enable the youth to become a productive, self-confident and committed force for national development. These programmes must create adequate facilities for the all round development of youth and assist in their striving for excellence in all fields.

This calls for an integral and inter-disciplinary approach, involving both government departments and organisations and sectors outside the Government such as the family, educators, leaders, voluntary agencies and youth organisations. The Central and State Governments have to provide adequate mechanisms supportive of this process.

It behoves the NATION, therefore, to assist youth in getting their due share in the country's life and progress, while equipping them to meet their obligations adequately. It is not an easy task, but it is a necessary task, in which not only the Government but the whole nation, including individuals, institutions and organisations, have to be brought together in a spirit of creative enterprise, as envisaged in this NATIONAL YOUTH POLICY.

## OBJECTIVES

The policy shall be directed towards the achievement of the following OBJECTIVES:-

To instil in the youth a deep awareness of and respect for the principles and values enshrined in our Constitution and a willingness to further the rule of law, with an abiding commitment to national integration, non-violence, secularism and socialism;

To promote among the youth the awareness of our historical and cultural heritage and imbue them with a sense of pride and national identity, together with a deep commitment towards their preservation, as well as the enrichment of the environment and ecology;

To help develop in the youth qualities of discipline, self-reliance, justice and fair-play, a burning concern for public weal, sporting spirit and above all, a scientific temper in their modes of thinking and action which, *inter alia*, will enable them to combat superstition, obscurantism and the numerous social ills that beset the Nation;

To provide the youth with maximum access to education which, in addition to developing their allround personality, imparts appropriate professional and vocational training, with a view to enabling them to avail of employment and self-employment opportunities towards the aim of BEKARI HATAO; and

To make the youth aware of international issues and involve them in promoting world peace, understanding and a just international economic order.

## PLAN OF ACTION

The following shall represent the PLAN OF ACTION for the implementation of the NATIONAL YOUTH POLICY:

Programmes aimed at inculcating knowledge of and respect for the CONSTITUTION OF INDIA, together with a sense of national integrity, cultural unity, democratic values and faith in socialism and secularism will form the core of all youth activities.

Programmes seeking to create a thorough awareness of our history, freedom struggle, national development, achievements of modern science and technology and their applicability in overcoming socio-economic constraints and achieving faster progress, without losing our cultural identity and spiritual strength, will be implemented.

Special efforts will be made to foster and develop contacts between youth from different parts of the country, with a view to inspire them to combat regionalism, communalism, linguistic chauvinism and other divisive and fissiparous tendencies, through participation in the programme of ANTAR BHARATI

Meaningful programmes of mass education, formal and non-formal, will be undertaken, so that the benefits of education reach all young men and women, including non-student rural youth, with particular emphasis on the dis-advantaged sections of our society.

Training programmes will be organised, aimed at imparting requisite skills to youth for self-employment, improving their employability and enhancing their productivity, while making them appreciate the dignity of labour.

Programmes will be undertaken to offer opportunities to the youth for leadership training through personality development and character building, and for motivating them to voluntary social and community service.

Promotion of physical fitness through mass participation in yoga, indigenous games and modern sports will be made an integral part of all youth programmes, together with adventure activities calculated to develop the spirit of risk taking, team work and endurance.

Young parents will be particularly sensitized to their responsibilities and their own role as catalysts of social change, by being involved in movements against various social ills, harmful practices and superstitions, and by adopting the small family norm and appropriate family welfare measures.

True to our great tradition of viewing the world as one family, programmes, enabling contacts and close links between the youth of India and their counterparts all over the world, will be expanded, to promote international understanding and strengthen world peace.

Outstanding work done by young persons and voluntary agencies in various fields will be recognised and rewarded through a system of awards, scholarships and the like.

## **IMPLEMENTATION**

The **MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**, Government of India, through the **DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS**, will be the **NODAL AGENCY** in the Government of India for the implementation of the **NATIONAL YOUTH POLICY** and providing such guidance and assistance as may be required.

Systematic and scientific monitoring and evaluation of the implementation of the Policy will be done, to provide insights into the needs, and aspirations of the youth at different levels and to assess the impact of the programmes and the expenditure thereon in relation to stated objectives. Monitoring and evaluation would be built into the system on an on-going basis and necessary mid-term corrections applied.

Maximum participation by non-governmental institutions, public and private, will be encouraged, and in fact sought, in the mobilisation of youth in specific areas of national development. Programmes of youth organisations will be encouraged through financial and organisational support.

## **COORDINATION**

The most important component of the youth programme will be the removal of unemployment, both rural and urban, educated and non-educated. This shall inform all programmes for youth undertaken by all departments of Government, Central and State, as well as non-Governmental Agencies. This will be ensured by all these Agencies, working in unison and in mutual consultation and coordination. The **DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS** in the **MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**, Government of India, will make all efforts to serve as a clearing house of data, information and ideas germane to process of coordination, while keeping intact the independent operational aspects of each of the Agencies.

The Central Government, State Governments and Voluntary Agencies will work in close coordination in the implementation of the **NATIONAL YOUTH POLICY**. Detailed exercises at the local level will be initiated in order to bring about maximum utilisation of the State and Central facilities and to avoid duplication in all the spheres of activity that the **POLICY** contemplates, and to evolve effective, responsive and responsible mechanisms for these purposes.



A COMMITTEE FOR NATIONAL YOUTH PROGRAMMES (CONYP) will be set up, bringing together representatives of the concerned Ministries, Departments and National Youth Organisations, to advise the DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS in discharging its duties in the effective implementation of the NATIONAL YOUTH POLICY.

## **CONCLUSION**

It is significant that the National Youth Policy is being launched in the year of the birth centenary of Pt. Jawaharlal Nehru. In the implementation of the policy, the nation and the Government will be guided and inspired by the philosophy and vision of Pt. Nehru, who was not only the rallying point of youth during the struggle for Independence but also the man who became a symbol of resurgent youth in Independent India. With his world view of history and his modern, scientific temper working in unison with the traditions and heritage of this great country, Pt. Nehru was a great humanist who strove for the ideals of socialism, secularism and democracy. These cardinal principles and ideals enshrined in the Constitution of India will inform all programmes of action for implementation of this Policy, enabling the youth of India to march forward, with confidence in themselves and faith in the future, basing their convictions on our ancient heritage but utilising their skills, knowledge, energies and idealism to harness the fruits of science and appropriate technology in building a new and vibrant India.

## NATIONAL SPORTS POLICY

The importance of participation in sports and physical education activities for good health, a high degree of physical fitness, increase in individual productivity and also its value as a means of beneficial recreation promoting social harmony and discipline is well established. The need of every citizen, irrespective of age and sex, to participate in and enjoy games, sports and recreational activities is, therefore, hereby recognized. The necessity of raising the national standards in games and sports so that our sportsmen and women acquit themselves creditably in international sports competitions is equally recognised. It is the duty of the Central and State Governments, therefore, to accord to sports and physical education a very high priority in the process of all round development. They should promote and develop traditional and modern games and sports, and also yoga, by providing the necessary facilities and infrastructure on a large scale and by inculcating sports consciousness among the masses, so that by their regular participation in sports and physical education activities, the nation is made healthy fit and strong.

The Government of India are happy to note that the principles stated above and the policy statements which follow enjoy the support of the State Governments.

The Government of India, accordingly, resolve that promotion of sports and physical education in the country be undertaken in the following manner:—

**Infrastructure in Villages and Towns:** No programme of promotion of sports and physical education on a large scale can succeed unless the minimum sports facilities such as ployfields, indoor halls swimming pools etc., are provided in the villages and towns, alike for the general public, industrial workers and in educational institutions. Such facilities should, therefore, be provided in a phased manner so as to cover the entire country in course of time. Only then it would be possible to fulfil the basic object of mass participation in sports and physical education activities. A timebound programme needs to be drawn up for this purpose by the Central and State Governments.

**Preservation of Play-Fields and Open Spaces:** The Central and State Governments should make efforts to ensure, if necessary by suitable legislation, that existing play-fields and stadia in rural and urban areas are preserved for sports purposes and progressively more existing open spaces are made available for sports any physical education activities.

**Nutrition:** The need for improving the level of nutrition of the population at large is already recognised. Efforts should be made to ensure that the diet available to sportsmen and women has the nutritional value necessary to meet the specific requirements of different games and sports in which they participate.

**Identification of Talent:** Those concerned with the promotion of sports should make all efforts to identify sports talent at a young age and to nurture it so as to realise its full potential.

**Sports and Physical Education in Educational Institutions:** Sports and physical education should be made an integral part of the curriculum as a regular subject in schools and other similar educational institutions. A great deal of emphasis should be laid on participation in sports activities also in universities, colleges and other institutions awarding degrees and diplomas.

**Sports Institutions:** Steps should be taken to establish institutions such as sports universities, colleges schools and hostels which lay special emphasis on identifying, nurturing and developing sports talent to its full potential. Normal education has to be an integral part of the curriculum of these institutions besides their special emphasis on sports and physical education.

**Incentives:** Adequate incentives should be provided to those who excel in sports.

**Special consideration for employment:** Special consideration should be given to those who excel in sports in the matter of employment, including self-employment.

**Voluntary Efforts:** Voluntary effort has to play an important role in promotion of sports both in respect of competitive sports and mass participation in sports activities. It is necessary, therefore, that cooperation of voluntary bodies such as the Indian Olympic Association, the national sports federation, sports clubs and other is enlisted in this endeavour.

**International Competitions:** The Indian Olympic Association and the national sports federations have a special responsibility with regard to competitive sports. They should present a unified and cohesive image in keeping with the dignity of the nation. Their responsibility is even greater where participation of national teams in international competitions is involved. Such federations should, therefore, be encouraged to regularly hold national competitions and implement effective plans for the preparation of national teams for participation in international competitions and ensure proper selection, physical fitness and coaching of players for this purpose. They should also resist any change in the rules of a game at the international level that seeks to change the original form of the game to the detriment of sporting ability or style of any particular nation or group of nations.

**International Exposure:** National teams should be sent abroad to take part in international competitions only when, by physical conditioning, coaching and practice, they have attained standards required for such competitions. Diplomatic priorities of the country should be kept in view when considering international participation abroad or organisation of international events within the country.

**Priority in Competitive Sports:** While encouraging competitive sports, priority should be accorded to:

- (a) Sports disciplines recognised for the Olympics, the Asian Games and the Commonwealth Games; and
- (b) those internationally recognised games for which a world federation exists and which, like chess, are widely played in India.

**Appropriate Equipment:** Every effort should be made to promote the sports goods industry in the country so that it is able to produce and make available equipment of internationally accepted standards at reasonable cost for use in sports. Until such time as the indigenous sports goods industry is able to do so, equipment of appropriate international standards should be made available for sports competitions, requiring such equipment, by importing it free of customs duty.

**Promotion of Sports and Physical Education by Non-Governmental Institutions:** Government alone cannot promote and develop sports and physical education on the scale required. Active participation and support from non-governmental institutions, whether public or private, in the matter of finance, infrastructure and organisation should be encouraged.

**Research and Development:** Research and development in the field of sports and physical education should be actively encouraged both in the private and public sectors. In this context, special attention needs to be paid to the development of sports sciences in the country.

**Employment of Mass Media:** The mass media should be effectively employed in spreading and sustaining sports consciousness in the country.

The implementation of this sports policy will need substantial additional financial outlays by the Central and States Governments. Investment in the promotion of sports and physical education, being investment in health, fitness, productivity and social well-being of the people, is really for upgradation of our human resources for development. Such investment in sports and physical education should, therefore, be adequately increased.

The Government of India will review along with the State Governments, every five years, the progress made in the implementation of this national policy and suggest further course of action as may be necessary as a result of such review.

## **YOUTH SCHEMES**

60% of India's population is below 24 years of age, while 33% is in the age group of 15 to 35. The vital and significant role that youth has to play in the development of the country is clear from this, since it is not only large in numbers but is also the largest segment of our population which is open to new ideas, is responsive to changes and challenges and is vigorous, active and forward looking.

While it is true that Government alone, without the active participation of the youth and the community, cannot be successful in fostering programmes of youth development, Department of youth affairs & Sports have initiated several programmes and set up several Organisations which play a leading role in this behalf. The following gives a bird's eye-view, along with the Seventh Plan outlays ( the figures within brackets):-

### **NEHRU YUVA KENDRA SANGATHAN:-**

(Rs. 35 Crores)

A modest beginning was made in 1972 with the establishment of Nehru Yuva Kendras in some Districts, with a view to involve non-student and rural youth in constructive activities. The Nehru Yuva Kendra Sangathan was established in 1987 as an autonomous body to administer and expand the programme. 350 Districts are already covered and all Districts in the country would be covered by the end of the Seventh Plan (1989-90). The activities cover cultural programmes, promotion of Youth Clubs, sports and games, leadership training and community service.

### **NATIONAL SERVICE SCHEME:-**

(Rs. 15 Crores)

Popularly known as NSS, the Scheme was launched in the Gandhi Centenary year 1969. Aimed at developing the personality through and promoting the role of the students in community service, NSS is a voluntary association of young people in Colleges and Universities. From a strength of 40,000 in 1969-70, NSS has 8,80,000 volunteers now. The number is expected to reach 1 million by the end of the Seventh plan. In operation in all the 135 Universities, deemed Universities and Institutes, NSS presently covers 4,500 Colleges. Regular and special camping programmes in the community seeks to awaken the social conscience of the young students.

## **NATIONAL SERVICE VOLUNTEERS SCHEME:—**

(Rs. 7.50 Crores)

NSVS was started in 1977-78, aimed at providing an opportunity to first degree holders to involve themselves, on a voluntary basis, in nation-building activities. The volunteers work with NYKs, NSS Units and select Voluntary Organisations, and turn out creative and constructive work in and for the community. Volunteers get a stipend of Rs. 300 per month and a fixed travelling allowance of Rs. 150.

## **ADVENTURE PROGRAMMES:—**

(Rs. 3.56 Crores)

The Department of Youth Affairs and Sports extends financial support to institutions, groups, individuals and Voluntary Organisations for activities like mountaineering, trekking, hiking, nature exploration for collection of data, study of flora and fauna and coastal sailing, as also for training of young people in these activities. The objective is to foster the spirit of adventure and team-work, promote effective reflexes to challenging situations and foster discipline and endurance.

## **ASSISTANCE TO VOLUNTARY ORGANISATIONS:—**

(Rs. 1.00 Crore)

Assistance is extended for the implementation of youth programmes, the involvement of youth in social reconstruction, promotion of research and experimentation in youth activities, training of youth leaders, and organisation of inter-State exchanges of youth delegations. One of the significant areas of achievement has been the imparting of vocational training in agriculture, dairy-forming, tailoring and embroidery and the like, to make youth self-employed and better employed.

## **NATIONAL INTEGRATION CAMPS**

(Rs. 5.00 Crores)

The comprehension of the unity and integrity of the country, and the secular integration of the youth, is a pre-requisite for their emerging as responsible citizens. Youth camps of this nature include inter-State Exchanges, Mass Festivals, Environment Camps and Seminars/Festivals on national/cultural programmes. 50% Railway concession is available for National Integration Camps approved by the Department.

## **NATIONAL YOUTH AWARD:—**

(Rs. 0.30 Crore)

Awards are conferred on youth who have demonstrably excelled in youth work in different fields of development activities and social service. While considering candidates for the Youth Award, the leadership qualities displayed by them in successfully carrying out voluntary activities, would be the criterion. In the case of individuals, the Youth award comprises a medal, a scroll and Rs. 5,000/-. Voluntary Youth organisations receive Rs. 100, 000/- besides a trophy and a scroll as the Award. 34 youth and 3 youth Organization have been awarded so far.

## **ASSISTANCE TO YOUTH CLUBS:—**

(Rs. 5.00 Crores)

Youth Clubs are grass-root level organisations. Financial assistance is extended to them for programmes like library and reading room facilities, sports activities, cultural programmes and the like. A newly registered Youth Club gets a non-time assistance of Rs. 2,000/- in the first year and Rs. 1,000/- in the following 2 years, by which time it is expected to be self-sufficient.

## **TRAINING OF YOUTH:—**

(Rs. 3.00 Crores)

Financial assistance is extended under this Scheme for training in fields like animal husbandry, improved methods of agriculture, establishment of cooperatives, health education and management at local levels. This not only motivates the youth to equip themselves better but has the multiplier effect of disseminating such knowledge and awareness in the rural community.

## **EXHIBITIONS FOR YOUTH:—**

(Rs. 0.75 Crores)

Exhibitions on painting, art and crafts are funded under this scheme, as well as exhibitions of folk dance and music, cultural heritage, ecology and environment. This also enables the youth from different parts of the country to know a little more about the ways of life and cultural mores of other parts.

## **YOUTH HOSTELS:—**

(Rs. 20.00 Crores)

With a view to promote youth travel within the country, Youth Hostels are being established as joint ventures of the Department with the State Governments, with land being provided



free of cost by the latter. There is a local Management Committee, which over-see the running of these hostels. 26 Youth Hostels in various States like Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Assam, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamilnadu, Uttar Pradesh, West Bengal, Pondicheery and Andaman & Nicobar are already functioning and 38 more are in progress. The provision of inexpensive accommodation and wholesome food, along with recreation facilities, has proved to be a major catalyst in encouraging youth travel.

### **INTRERNATIONALISM:-**

The Department implements schemes like Commonwealth Youth Programme, UNV Programme and Cultural Exchanges through Cultural Exchange Programmes (CEPs) and Protocols with other countries, as well as Festivals of Youth abroad and Festivals of foreign youth in India.

## **SPORTS SCHEMES**

### **GRANTS TO STATE GOVERNMENT/ STATE SPORTS COUNCILS/ VOLUNTARY BODIES ETC. FOR SPORTS INFRASTRUCTURES EQUIPMENT AND COACHING.**

(Rs. 60.00 crores)

1. Grants are given for the creation of sports infrastructure on the basis of 50% of the cost of States, 75% for hilly areas and 100% to UTs. Ceiling for various types of infra-structure are specified. Grants are also given for equipment and coaching camps. Assistance upto Rs. 1 . lakh is also given to one selected nodal school in each Block for the creation of sports facilities. During the first three years of the Seventh Plan Rs. 31.91 have been released under this Scheme.

### **NATIONAL SPORTS ORGANISATION (UNIVERSITY SPORTS AND GAMES)**

(Rs. 16.82 Crores)

2.1 Grants are given to universities and college, through the University Grants Commission, for creation of sports infrastructure. Till 1987-88, an amount of Rs. 6.26 crores has been sanctioned under this Scheme.

2.2. Grants are also given to the Association of Indian Universities (AIU) for organising Inter-University Tournaments. Very recently, the scheme of Inter-University Touraments has been re-structured in order to encourage larger participation and to make them more purposeful. The level of expenditure from 1989-90 would be of the order of Rs. 28.20 lakhs, as against about Rs. 9 lakhs during the current year.

2.3 From 1988-89, a Prize Money Scheme has also been introduced for the winning Universities, in each of 13 disciplines securing the first, second and third positions, at Rs. 50,000 Rs. 30,000 and Rs. 20,000 respectively. The prize money will be utilised for the creation and expansion of sports facilities in these Universities.

2.4 The Maulana Azad Trophy instituted in 1956-57 was so far only a Running Trophy given to the University rated as the best in overall performance in Unviersity tournaments. From 1988-89, cash prizes of Rs. 50,000 25,000 and 10,000 would

also be given to the Universities obtaining the first, second and third positions, based on an overall assesment of their performance in University tournaments. This is also intended to finance the creation and expansion of sports facilities in these Universities.

## **INCENTIVE SCHEME FOR PROMOTION OF SPORTS AND GAMES**

**(Rs. 13.18 crores)**

3.1 Cash prizes ranging from Rs. 50,000 to Rs. 5 lakhs are given to those who win medals in Olympics, Commonwealth and Asian Games and World Championships, as also to outstanding world performers in Chess, Billiards and Snooker.

3.2 A cash prize of Rs. 10,000 is also given to Higher Secondary Schools winning District level tournaments in any of 9 identified disciplines (5 for boys and 4 for girls).

3.3 Till 1987-88, a sum of Rs. 4.19 crores has been spent under this Scheme.

## **SCHEME OF SYNTHETIC TRACKS AND ARTIFICIAL SURFACES**

**(Rs. 13.00 crores)**

4.1 This Scheme has been formulated to provide synthetic tracks, for athletics, as also artificial surfaces for Hockey, of international standard. The expenditure till 1987-88 is Rs. 2.64 crores.

4.2 Under this Scheme, synthetic tracks/artificial surfaces have so far been sanctioned for Lucknow, Trivandurm, Gwalior, Bombay, Delhi, Amritsar, Ranchi, Hissar and Calcutta.

4.3 Besides the activity under this Scheme, the Sports Authority of India have also either laid or are in the process of laying tracks/surfaces at their own Centres at Patiala, Delhi, Bangalore, Calcutta and Gandhinagar.

## **PROMOTION OF SPORTS AMONG WOMEN**

5.1 A scholarship of Rs. 3,600 per annum is given to women securing first positions in the National Championships in individual events or for representing the country in approved International competitors.

5.2 National Sports Championship for Women is also organised at Block, District, State and National levels. Annual expenditure is now of the order of Rs. 58 lakhs. The scheme of assistance has recently been liberalised.

## **RURAL SPORTS TOURNAMENTS**

2.6 Rural Tournaments are organised at Block, District, State and National levels. The expenditure is of the order of Rs. 50 lakhs per annum.

## **SPORTS TALENT SEARCH SCHOLARSHIP SCHEME**

(Rs. 5.00 crores)

7.1. Scholarships of Rs. 2700 and Rs. 1800 per month are given to National and State level champions respectively. The annual number of scholarships for National level Champions is 12000, and for the State level 2095.

7.2 The scholarships awarded during the previous year are renewable in the following year.

## **TRAVEL GRANT TO SPORTS SCHOLARS**

(Rs. 25 lakhs)

8. The Department meets to and for international travel cost of sports scholars and sportspersons attending international sports conferences and seminars.

## **NATIONAL WELFARE FUND FOR SPORTSPERSONS**

9. Financial assistance is provided to outstanding sportspersons and their families in indigent circumstances, pension and medical assistance to such sportspersons, as well as assistance for equipping outstanding sportspersons taking part in prestigious competitions. Presently, about 31.5 lakhs is available in the Fund.

## **ASSISTANCE TO NATIONAL SPORTS FEDERATIONS**

(Rs. 15.00 crores)

10. Liberal assistance is given to National Sports Federations for training, coaching, holding National Championships for Sub-Juniors, Juniors and Seniors, as well as international events in India and for participation in international events abroad. Assistance is also given for purchase of equipment.

## **DRONACHARYA AND ARJUNA AWARDS**

11.1 Government instituted the Arjuna Awards in 1961 as the highest recognition that the Nation confers on outstanding sportspersons. Till 1986, 366 sportspersons have received this Award. The Award carries a bronze statuette of Arjuna, a and a cash award now of Rs. 20,000/-.

11.2 Droncharya Award was instituted in 1985 to honour and convey the recognition of the Nation to coaches of eminence in the country. So far 5 coaches have received this Award, which consists of a plaque, a scroll and a cash award now of Rs. 40,000/-.

## **EXCHANGE OF SPORTS AND PHYSICAL EDUCATION TEAMS/EXPERTS**

(Rs. 70 lakhs)

12. Under Cultural Exchange Programmes/Sports Protocols with other countries, experts and teams from foreign countries are invited to visit India. and vice versa.

A big spurt in International cooperation in sports with the signing of Sports Protocols in 1987 with USSR, GDR, Cuba and Mauritius and in 1988 with Czechoslovakia and Yugoslavia and the the inclusion of Exchanges in Sports in CEPs/Joint Commissions with 46 countries. A Sports Protocol with China is in the offing.

## **NATIONAL INSTITUTE OF SPORTS, SAI, PATIALA**

13. The premier National Institute for producing coaches, it organises various types of courses in coaching and sports science back-up. Clinics, workshops, and Conferences on Sports are also organised. It has also sports facilities for the training of elite sportspersons in various disciplines. So far the Institute has produced 8367 coaches, including 766 Women.

## **LAKSHMIBAI NATIONAL COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SAI, GWALIOR AND TRIVANDRUM**

14. LNCPE, Gwalior, is the premier institute for organising Physical Education Courses. LNCPE, Trivandrum has also now become operational. So far LNCPE Gwalior has produced 2934 physical education teaches.

## **ESTABLISHMENT OF REGIONAL CENTRES SAI**

(Rs. 31.45 crores)

15. Regional Centres have already become operative at Bangalore, Calcutta, Ahmedabad and Imphal. Work has also been taken up at the sub-Centres at Guwahati and Aurangabad.

## **SPECIAL PROJECTS**

16. The High-Altitude Training Centre at Shilaru-Shimla, Water Sports Centre at Allepey (Kerala) and Port Blair (Anadaman and Nicobar), Yachting Centre, Water Sports Complex at Ramgarh Lake and The Winter Sports Complex at Manali have also been either taken up or would be taken up in the near future.

## **SPOTTING AND NURTURNING SPORTS TALENT INCLUDING ADOPTING OF SCHOOLS (NSTC)**

(Rs. 14.10 crores)

17.1. Sports Authority of India organises sports talent contests in 10 identified disciplines for school children in the age-group of 9-12 years. The selected boys and girls are admitted to reputed schools which are specially adopted, where, besides pursuing their academic courses they are also given top-class coaching in identified disciplines.

17.2 Under this scheme 5 coaches are deputed and upto Rs. 5 lakhs is given to each adopted school for the creation of sports infrastructure/facilities in specific disciplines and for providing them with training and coaching facilities. The total number of children selected so far is 1484 (937 boys and 547 girls) of whom (419 boys and 223 girls) have been admitted already.

## **SPECIAL AREA GAMES**

(Rs. 2.00 crores)

18. Under this Scheme young talent is recruited from the North Eastern States and tribal, hilly and coastal areas of the country for various sports disciplines like Archery, Judo, Boxing, Football, Hockey, Water Sports, Gymnaastics, Athletics and the like, after intensive talent scouting.

## **COACHING CAMPS FOR JUNIORS**

( 2.60 crores )

19. Coaching facilities are provided to juniors at Block and Zonal levels.

## **SPDA (SPECIAL PROJECT DEVELOPMENT AREA SCHEME)**

20. This is a new Scheme introduced from 1988-89, under which there would be one Project for a group of 80-100 Blocks (roughly 4-5 districts) where adequate sports facilities would be created and training and coaching of talented youth undertaken. The centre and the States share the expenditure equally. The setting up of each SIDA is expected to cost Rs. 1 crore.

## **CENTRAL POOL OF TECHNICAL SPORTS EQUIPMENT/CONSUMABLE SPORTS EQUIPMENT**

(Rs. 4.64 crores)

21. SAI would build up a pool of sports equipment for the use of elite junior and senior sportspersons for preparing them for international events.

## **ESTABLISHMENT OF SPORTS MEDICAL CENTRE AT J.N. STADIUM SAI, DELHI**

(Rs. 98 lakhs)

22. To provide the necessary sports medical back-up, this centre is being established and is coming up fast.

## **SPORTS SCIENCE RESEARCH SCHOLARSHIPS**

(Rs. 18 lakhs)

23. Scholarship are given to Sports Doctors and Sports Scientists. The value of each scholarship is Rs. 20,000 per annum plus a contingency grant of Rs. 10,000.

## **SPORTS HOSTELS**

( 3.80 crores )

24. Under this Scheme so far 11 Sports Hostels have come up in the country, where selected sportspersons provided free board, lodging and coaching facilities in various sports disciplines.

## **NATIONAL COACHING SCHEME (Rs. 4.50 crores)**

25. The Scheme provides for establishment of Regional Coaching Centre, assistance to National Federations for preparing National teams conducting coaching camps clinics and refresher courses.

## **PROMOTION OF INDIGENOUS GAMES AND MARTIAL ARTS**

(Rs. 1.00 crore)

26. The aim of this Scheme is to promote indigenous games and martial arts in rural and semi-urban areas.

## **ESTABLISHMENT OF COMPUTERISED SPORTS DATABANK**

( 50 lakhs )

27. The objective is to have comprehensive statics of the performance of Indian sportspersons in major international/national events. This is to help in planning and training sportspersons for the future.

Note: The schemes Sl. No. 13 to 27 are implemented by the Sports Authority of India.



## **ACHIEVEMENTS OF THE LAST FOUR YEARS HIGHLIGHTS**

The emergence of youth, consisting of the third of the population of India, as a crucial social group is one of the most vibrant characteristics of India today. With the creation in 1985 of a new Ministry for Human Resource Development and within the Ministry, of the new Department of Youth Affairs and Sports, youth and sports programmes have started receiving a substantial and positive thrust, backed by well thought out schemes and a massive infusion of funds. The focus has been on organising youth to take part in nation-building activities and in creating a national spectrum of infrastructure, coaching and training facilities for sports.

### **KEY INDICATORS:**

The Seventh Plan outlay increased 13-fold, from the Sixth Plan outlay of Rs. 23.29 crores to Rs. 300 crores. Outlay in the first four years of the Plan has been Rs. 179.69 crores.

Successful reciprocal participation of youth and sports teams in the Festivals of India and USSR.

A big spurt in International cooperation in sports with the signing of Sports Protocols in 1987 with USSR, GDR, Cuba and Mauritius and in 1988 with Czechoslovakia and Yugoslavia and the inclusion of Exchanges in Sports in CEPs/Joint Commission with 46 countries. A Sports Protocol with China is in the offing.

The amalgamation of the Society for the National Institutes of Physical Education and Sports (SNIPES) with the erstwhile Sports Authority of India (SAI) into a unified set-up for sports, games and physical education at the national level under the SAI, under the Presidentship of Prime Minister.

Introduction of the "Pay and Play" Scheme in the stadia of SAI which has proved immensely popular.

Inauguration of the Centre of Excellence in Sports at the Regional Centre of SAI, Bangalore.

Establishment and development of 6 Regional Centres and 2 sub-centres of SAI on hand.

Water Sports Centres at Monroe Islands (Alleppey-Kerala) and Port Blair have been set up.

Scouting and nurturing of young talent in sports and games through the National Sports Talent Contest Scheme Introduced by SAI from 1985.

To tap natural talent in selected sports and games from remote and tribal areas, the Special Area Games Scheme was launched in 1986-87. 28 archers were selected for long term training of which, 4 found a place in the Indian team for the Asian Archery Championships and won the first ever bronze for the country.

A 10-month post MBBS Diploma Course in Sports Medicine introduced for the first time in India by the Netaji Subhash National Institute of Sports, Patiala in collaboration with the Indian Medical Council.

The first National Games held in Delhi in 1985 and the second in Kerala in 1987. The third is scheduled to take place in Punjab in 1989. Rs 2 crores had been sanctioned to Kerala for creation of required infrastructure.

The Third South Asia Federation Games held in Calcutta in November 1987 – India topped with 75 Gold, 41 Silver and 19 Bronze medals. Government of India sanctioned Rs. 10 crores for Salt lake Stadium, Calcutta to conduct the Games.

Under the liberalised Scheme of grants for sports Infrastructure, Rs. 34.57 crores released to States/UTs. Seventh Plan outlay Rs. 60 crores.

Introduction of Special Awards ranging from Rs. 50,000/- to Rs. 5 lakhs to individual sports-persons and from Rs. 75,000/- to Rs. 20 lakhs to teams, winning medals in international sports events of specified categories.

Under the National Sports Organisation Scheme, Rs. 8.72 crores were released for creation of sports infrastructure in Universities and Colleges. Seventh Plan outlay: Rs. 16.32 crores.

51 Sports Field Stations are functioning in the Universities.

Introduction of the Scheme of cash prizes of Rs. 10,000/- in nine sports disciplines in each District of the country as incentive to schools winning District level tournaments. Expenditure so far: Rs. 4.05 crores.

Setting up of 11 Sports Hostel

Introduction of Cash Prizes of Rs. 50,000/- Rs. 30,000/ and Rs. 20,000/- each year to the first 3 Universities in sports. Annual outlay Rs. 13 lakhs.

Maulana Azad Trophy instituted in 1956-57: So far only a Rolling Trophy was given to the best University in overall performance in University games. From 1988-89, cash prize of Rs. 50,000/- Rs. 25,000/- and Rs. 10,000/- would also be given to the first, second and third position Universities.

Inter-University Sports Tournaments Scheme – liberalised and systematised – operative from next year. Annual outlay Rs. 28.20 lakhs against the level of Rs. 9.17 lakhs in 1987.

Laying of synthetic tracks/surfaces of the highest International standards completed at Lucknow, Calcutta, Gwalior, New Delhi (2nd surface at Shivaji Stadium) and Trivandrum. Laying of synthetic surfaces/tracks at Calcutta, Bangalore and Gandhinagar is in progress. Also sanctioned for Hissar, Amritsar, Ranchi and Bombay. Total Seventh Plan outlay Rs. 13 crores.

Operation Excellence Programme (1988-90) formulated by Government in early 1988 to intensify and systematise efforts for ensuring improved performance of Indian sportspersons in major international competitions. Introduction of the element of objectivity in selection of National Coaches and sportspersons.

In Asian Games, 1986 in Seoul, India won 37 medals (5 Gold, 9 Silver and 23 Bronze). In the Asian Roller Skating Championship 1985 and 1987, India won 3 gold medals each. Shri Viswanathan Anond won the World Junior Chess Championship in 1987 and also became International Grandmaster. He is the first Indian to become a Grandmaster and is one of the four youngest persons of his age group to have achieved this distinction the world. Shri Geet Sethi won World Billiard Championship in 1987. In a Commonwealth Weightlifting Championship, 1988 at Malta, India won 7 Gold and 3 bronze medals.

In the Seoul Olympiad 1988, the Indian Hockey Team improved its world ranking from the 11th to the 6th place. Mercy Kuttan and Shiny Abraham achieved the distinction of being the fastest Asian women in 400 meters and 800 metres, respectively. The Indian Women's team relay also improved its timing over its Asiad 1986 performance, and emerged as the best Asian team. 2 Indian Boxers had the distinction of reaching within the fifth positions in their respective weight categories. Soma Dutta achieved the distinction of being the third best Asian in Women's shooting. The Indian Yachting Team came second in Asia. In weight-lifting, Shri Muthuswamy improved the Commonwealth record in his weight category and achieved the first position in Group B Finals.

In the chess, Olympiad, 1988 the Indian Men's team reached 15th position in the world and the Women's team 11th position

in the world. In the Bridge Olympiad, 1988 the Indian Open Team reached the semi-finals. (the first Asian team to achieve the distinction) and was defeated by the ultimate world Champion Team.

In the world Bodybuilding Championship 1988, held in Melbourne, India won a Gold medal.

The Constitution (Sixtyfirst Amendment) Bill, 1988 was introduced in the Rajya Sabha on November 24, 1988 seeking the transfer of the subject "Sports" from the "State List" to the "Concurrent List" of the Constitution of India.

The Prevention of Apartheid in Sports Bill, 1988 introduced in Rajya Sabha on December 7, 1988 to give effect to the International Convention against Apartheid in Sports.

The National Youth Policy, evolved after extensive discussions and consultations, with the objective of conferring on the youth of the country meaningful and constructive opportunities as well as mobilising them in nationbuilding activities was tabled in the Rajya Sabha on November 30, 1988 and in the Lok Sabha on December 1, 1988.

All India University Youth Festivals at the Zonal level and at the National level are being held annually, having been revived in 1985 after a lapse of 15 years.

Nehru Yuva Kendra Sangathan an autonomous organisation was established to provide a new thrust to programmes intended for rural youth. The number of Nehru Yuva Kendras in the country has gone up to 350. All the Districts would be covered by the end of the Seventh Plan.

National Youth Awards Instituted in 1985, to recognise outstanding contributions of youth and Voluntary Organisations in the field of social service and national development. 21 awards have so far been given for 1985-87 - 19 individuals and 2 voluntary Youth Organisations. 16 Awards approved for 1987-88.

The strength of volunteers under the National Service Scheme has increased from 6.10 lakhs in 1985 to 8.87 lakhs in 1987-88. the aim is to cover 10 lakh students by 1990. The Scheme has now become permanent. State level Cells for NSS for effective planning, liaison and expenditure of funds are being set up, with 100% Central assistance

In order to strengthen the quality and content, it has been decided to involve about 200 College NSS Units in the Health Extension programme in collaboration with UNICEF and Central Health Education Bureau.

40% of the NSS Volunteers enrolled are being involved in the Mass Programme for Functional Literacy (MPFL) of the National Literacy Mission during 1988-89.

The strength of the National Service Volunteers has reached 3000.

Scouts and Guides movement is being continuously strengthened. It is proposed to cover 1.80 million students under this movement by 1990. The present strength is 1.70 million.

8 more Youth Hostels have been completed and 28 hostels taken up so far in the Seventh Plan. Total number of hostels as of date: 26.

A Scheme of assistance to Youth Clubs has been formulated in 1986-87 for strengthening the development of youth clubs at the grass-roots level.

With the collaboration of National Cadet Corps (NCC) para-sailing training courses have been started during 1987-88.

An exciting adventure programme on the river Yamuna from Delhi to Calcutta was organised on August 15, 1988 by Sea Explorers's Institute, Calcutta. A Freedom Forty Cycle Expedition in which 1600 cyclists from 65 Districts took part was organised in 1987-88. A similar programme for 1000 young persons is being organised at Bhopal in January 1989.

Massive National Integration Camps involving more than 1000 youth each were organised at Gandhigram from June 4-12 at Panaji from October 25 to November 3, and at Lucknow from November 7-16, 1988.

NIEPA DC



D05864

Sub. National Systems Unit,  
National Institute of Educational  
Planning and Administration  
17 B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016  
DOC. No. D-5864.....  
Date..... 26-2-91

विस्तृत विवरण के लिए निम्न से सम्पर्क करें:

|                           | दूरभाष |
|---------------------------|--------|
| संयुक्त सचिव (युवा कार्य) | 384152 |
| संयुक्त सचिव (खेल)        | 384441 |
| निदेशक (युवा सेवाएं)      | 384408 |
| निदेशक (खेल) (म)          | 381185 |
| निदेशक (खेल) (स)          | 384072 |

शास्त्री भवन,  
नई दिल्ली-110001

For details please contact:

|                                 | Telephone |
|---------------------------------|-----------|
| Joint Secretary (Youth Affairs) | 384152    |
| Joint Secretary (Sports)        | 384441    |
| Director (Youth Services)       | 384408    |
| Director (Sports) (M)           | 381185    |
| Director (Sports) (S)           | 384072    |

Shastri Bhavan,  
New Delhi-110001

युवा कार्यक्रम और खेल विभाग  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
भारत सरकार

**DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS**  
**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**  
**GOVERNMENT OF INDIA**